



2026: AHC : 38573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7015 वर्ष 2026

अविशर याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अंकित कटियार, कृष्ण कुमार चौरसिया

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2-जिला मजिस्ट्रेट, औरैया को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.12.2025 के प्रत्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) को तय करने का निर्देश देने की है, जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक-10 के रूप में संलग्न है।
- संपूर्ण रिट याचिका में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही कोई तर्क दिया गया है कि कानून के किन प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षों के बीच उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही अभी भी चल रही है।
- मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना के अनुसार कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
- तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।